मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / डी–15–63 / 18 / 14–3 भोपाल, दिनांक 06 / 10 / 2018

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में प्रचलित मण्डी फीस की दरें अन्य प्रदेशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पाए जाने पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा वर्तमान मण्डी फीस की दरें अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक रूपये 100/– पर रूपये 2/– के स्थान पर रूपये 1.50/– नियत करती है। जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में रूपये 1.50/– या उससे कम मण्डी फीस की दर लागू हैं वह यथावत लागू रहेंगी।

01.	अनुसूची 01 के अनुसार राज्य विपणन विकास निधि (किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि, गौ संवर्धन निधि, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना।	1/– रूपये में से 50 पैसे)
02.	अनुसूची 02 में उल्लेखित बोर्ड शुल्क की राशि	1/– रूपये में से 01 प्रतिशत से 30 प्रतिशत स्लेब अनुसार
03.	मण्डी स्तर पर क्रमांक 01 एवं 02 के पश्चात् शेष राशि में से –	
	(अ) स्थाई निधि (यथावत)	1/– रूपये का 20 प्रतिशत
	(ब) आरक्षित निधि (यथावत)	यथावत 1/– का 10 प्रतिशत
	(स) मण्डी की स्थापना (यथावत)	यथावत मण्डी स्तर पर शेष राशि

अनुसूची क्रमांक 01 के अंतर्गत रूपये 1/– के स्थान पर 50 पैसे होने पर उसका विभाजन पृथक से जारी किए जावेगें।

उपरोक्तानुसार संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा।

(डॉ. राजेश राजौरा)
6/10/18
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग